



डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

आवेदन पत्र

कार्य का नाम:- विश्वविद्यालय में संरक्षित निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी।

स्थान:- बृहस्पति भवन, पालीवाल पार्क परिसर, आगरा।

तिथि एवं समय:- दिनांक 24.09.2026 को पूर्वान्ह 11:00 बजे।

धरोहर राशि:- रुपये 20,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट, वित्त अधिकारी, डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के पक्ष में।

अन्तिम तिथि:- दिनांक 23.09.2026 तक।

आवेदनकर्ता/फर्म की जानकारी :-

(क)	आवेदक फर्म का नाम :- (कंपनी प्रोफाइल संलग्न करें)	
(ख)	स्वामी/प्रोपराइटर/निदेशक का नाम :-	
(ग)	स्थापना वर्ष :-	
(घ)	पंजीकृत कार्यालय का पता :-	
(ङ)	दूरभाष संख्या :-	
(च)	फैक्स संख्या :-	
(छ)	ई-मेल पता :-	
(ज)	गत वित्तीय वर्ष का वार्षिक कारोबार (टर्नओवर):-	
(झ)	संलग्न अभिलेखों की जाँच सूची:-	
	1. आधार कार्ड	
	2. पेन कार्ड	
	3. जी0एस0टी0 संख्या	

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर



डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

(A+ Grade, NAAC Accredited)

क्रम	निष्प्रयोज्य सामग्री का नाम	अनुमानित संख्या/भार
1.	अलमारी	80
2.	जंगले खिड़की के फ्रेम लोहे के	40
3.	लोहे की रैक	10
4.	लोहे की बक्से, जंगले, अलमारी	25
5.	लोहे की गाटर 20 फीट, 30 फीट	25
6.	लोहे की सरिया	20 कुन्टल
7.	फोटोस्टेट मशीन	02
8.	कूलर	10
9.	लोहे की जाली	50
10.	कम्प्यूटर सेट	50
11.	लोहे की कुर्सी	60
12.	लकड़ी की मेज व दरवाजे	50
13.	जनरेटर सेट	02
14.	छपाई मशीन	02
15.	लाइट बाक्स	01
16.	लोहे के छोटे कबाड़	05 कुन्टल
17.	लोहा (जंगले, अलमारी व कुर्सी)	05 कुन्टल
18.	तार (कापर, एल्युमीनियम)	06 कुन्टल
19.	अलमारी लोहे की	05
20.	पंखे	10
21.	लकड़ी की कुर्सी व मेज	05 कुन्टल
22.	समर	01
23.	पुराने यंत्र	08
24.	स्टेबलाइजर	03
25.	टूटी कुर्सी	20
26.	लोहे की रैक	01
27.	लोह का कबाड़	100 किलो
28.	स्टेबलाइजर	30
29.	इन्वर्टर	02
30.	पुरानी मशीन साउन्ड की	10
31.	लकड़ी के दरवाजे	14
32.	सिस्टर्न	12
33.	वुड बोर्ड	08
34.	टेबल	02
35.	लोहे की चौखट	35
36.	लोहे की खिड़की	16
37.	प्लास्टिक की कुर्सी	36

		22
38.	लकड़ी की कुर्सी	12
39.	टेबल फ्रेम	01
40.	-टाइपिंग मशीन	01
41.	कूलर 6 फुट	14
42.	देगसार के पाइप 4 इंच	12
43.	पाइप 2 इंच	14
44.	पाइप 3 इंच	06
45.	रौशनदान	30
46.	पाइप 1/2 इंच	02
47.	प्लास्टिक की टंकी 1000 ली0	12
48.	विंडो ग्लास 4X4	10
49.	हर्डल	02
50.	फ्रीजर	04
51.	अलमारी	01
52.	फ्रेम रैक	23
53.	एल्यूमिनियम दरवाजे	01
54.	अलमारी स्टैण्ड	45
55.	लोहे की कुर्सी की फ्रेम	01
56.	कूलर की टंकी	01
57.	एल्यूमिनियम खिड़की फ्रेम	02
58.	कम्प्यूटर मॉनीटर	02
59.	यू0पी0एस0	01
60.	चेंजओवर	01
61.	नोटिस बोर्ड फ्रेम	05
62.	की-बोर्ड	05
63.	माउस	01
64.	सी0पी0यू0	02
65.	टीवी	01
66.	ब्लोअर हीटर	01
67.	वॉशिंग मशीन	02
68.	ए0सी0 (विंडो और स्प्लिट)	02
69.	-कूलर	01
70.	प्रिंटर लेजर	04
71.	कुर्सिया प्लासस्टिक	48
72.	CPU	34
73.	UPS	02
74.	UPS FAN	15
75.	UPS BATTERY	44
76.	MONITOR, MOUSE, KEYBOARD,	22
77.	STABILIZER	54
78.	PHOTOCOPY MACHINE	08
79.	ROUTER	01
80.	FIRE EXTINGUISHER	05
81.	LED LIGHT & BULB	01
82.	PRINTER ROLE	03
83.	PRINTER CARTRIDGE	01
84.	COOLER	06
85.	TABLE	01
86.	STOOL	

87.	GLASS GATE	12
88.	FAN	04
89.	MOTHER BOARD	03
90.	M C B BOARD	01
91.	LIGHT SWITCH BOARD	11
92.	CHANGE OVER	02
93.	EXTENSION BOARD	10
94.	MOTOR COOLER	02
95.	ALUMINIUM GATE & WINDOW	
96.	CHAIR	
97.	PRINTER	
98.	LAN CABLES	
99.	खराब कम्प्यूटर	20
100.	लकड़ी की कुर्सी व मेज	20
101.	जनरेटर	01
102.	लोहे की कुर्सी व मेज	20
103.	खराब कम्प्यूटर	10
104.	मशीन	04
105.	पंखे	05
106.	प्रिंटर	03
107.	यू0पी0एस	07
108.	लोहे की कुर्सी व मेज	50
109.	खराब कम्प्यूटर मोनिटर	55
110.	सी0पी0यू	20
111.	यू0पी0एस0	03
112.	यू0पी0एस0 बड़े	15



डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी हेतु नियम एवं शर्तें

1. विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में निष्प्रयोज्य सामग्री (लोहे, लकड़ी, प्रिन्टर मशीन, कम्प्यूटर व उनके सहवर्ती उपकरण एवं अन्य सामग्री) के ढेर है, जिसकी नीलामी प्रस्तावित है।
2. नीलामी के माध्यम से उपरोक्त निष्प्रयोज्य सामग्री खरीदने के इच्छुक व्यक्ति/फर्म स्टोर प्रभारी से सम्पर्क कर विभिन्न स्थानों पर रखे निष्प्रयोज्य सामग्री के ढेरों का निरीक्षण कर सकते हैं।
3. नीलामी के लिए भाग लेने वाले व्यक्ति फर्म को प्रतिभूति के रूप में ₹20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट 'वित्त अधिकारी, डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा' के पक्ष में बनवाकर जमा करना होगा।
4. प्रतिभूति जमा किए गए बोलीदाता/व्यक्ति द्वारा ही नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया जा सकेगा।
5. नीलामी में सफल (चयनित) फर्म को टोकन मनी के रूप में न्यूनतम ₹1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) विश्वविद्यालय में जमा कराने होंगे। उक्त राशि के अनुपात में ही सामग्री का उठान किया जा सकेगा। इसके पश्चात, आगामी सामग्री का उठान अग्रिम धनराशि जमा करने के उपरांत ही संभव होगा।
6. अधिकतम बोलीदाता को कार्य-आदेश प्राप्त होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्दर समस्त निष्प्रयोज्य सामग्री उठाना होगा।
7. यदि सम्बन्धित बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में समस्त निष्प्रयोज्य सामग्री नहीं उठाया जाता है तो उसकी धरोहर राशि विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा विश्वविद्यालय उसी दर पर निष्प्रयोज्य सामग्री को किसी अन्य फर्म को बेचने के लिए अधिकृत होगा।
8. नीलामी के माध्यम से निर्धारित दर पर 18% की दर से वस्तु एवं सेवा कर (GST) अतिरिक्त रूप से देय होगा।
9. निष्प्रयोज्य सामग्री कय हेतु यदि कोई टैक्स इत्यादि जमा कराया जाना होगा तो इसे जमा करने का उत्तरदायित्व क्रेता/बोलीदाता का होगा।
10. बोलीदाता को निष्प्रयोज्य सामग्री के भरने, लादने, तौलाई, भाड़े इत्यादि की व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी एवं खर्च पर करना होगा।
11. निष्प्रयोज्य सामग्री की तुलाई 2 कांटो पर विश्वविद्यालय सत्यापन समिति के समक्ष कराई जायेगी एवं जिसमें अधिकतम गणना वाले धर्म कांटे का वजन मान्य होगा।
12. बोलीदाता को उतनी मात्रा में निष्प्रयोज्य सामग्री उठाने की अनुमति दी जायेगी, जिस धनराशि का अग्रिम बैंक ड्राफ्ट विश्वविद्यालय में प्राप्त करा दिया जायेगा अथवा जितनी धनराशि विश्वविद्यालय खाते में जमा कराने की पुष्टि हो जायेगी।
13. सम्पूर्ण निष्प्रयोज्य सामग्री उठाने का कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् सम्बन्धित समिति द्वारा कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिभूति धनराशि की वापसी की जायेगी।
14. बोलीदाता द्वारा नीलामी के नियम व शर्तों का उल्लंघन करने अथवा भ्रामक सूचना दिये जाने का प्रकरण प्रकाश में आने पर विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय उसका कार्य-आदेश निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।
15. बोलीदाता को इस आशय का प्रमाण पत्र/शपथ-पत्र देना होगा कि उनकी फर्म कहीं भी काली सूची में नहीं डाली गयी है तथा फर्म के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं है।
16. नीलामी को बिना कोई कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी में निहित है।

17. नीलामी धनराशि को स्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष, नीलामी समिति का होगा। निविदा निरस्त किये जाने का अन्तिम निर्णय मा0 कुलपति जी का होगा।
18. जो फर्म पूर्व में ब्लैकलिस्टेड होंगी वह नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगी।
19. सर्वाधिक बोली लगाने वाला सफल बोलीदाता माना जाएगा, परंतु नीलामी स्वीकार अथवा निरस्त करने का अंतिम अधिकार मा0 कुलपति जी के पास सुरक्षित रहेगा।
20. निर्धारित समय में भुगतान न करने पर जमा की गई धरोहर राशि (Security Deposit) जब्त की जा सकती है तथा नीलामी निरस्त की जा सकती है।
21. भुगतान पूर्ण होने के बाद ही निष्प्रयोज्य सामग्री उठाने की अनुमति दी जाएगी।
22. निष्प्रयोज्य सामग्री उठाने के दौरान परिसर, भवन, सड़क, पाइपलाइन, विद्युत व्यवस्था अथवा अन्य संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी भरपाई सफल बोलीदाता करेगा।
23. निष्प्रयोज्य सामग्री हटाने का कार्य निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करना होगा। विलंब होने पर विभाग आवश्यक कार्रवाई या अतिरिक्त शुल्क लगाने का अधिकार रखेगा।
24. निष्प्रयोज्य सामग्री हटाने के दौरान सभी सुरक्षा मानकों एवं लागू कानूनों का पालन करना अनिवार्य होगा।
25. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विभाग/संस्था का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा तथा विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र आगरा होगा।
26. नीलामी से संबंधित किसी भी नियम में संशोधन अथवा नीलामी को बिना कारण बताए स्थगित/निरस्त करने का अधिकार मा0 कुलपति के पास सुरक्षित रहेगा।
27. नीलामी प्रक्रिया आवेदक स्वयं अथवा उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ही प्रतिभाग किया जायेगा।


उपकुलसचिव(अभि0)


प्रो0 अनिल गुप्ता


वित्त अधिकारी